

mail

लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश

गौतम नगर, भोपाल 462023

दूरभाष 91-0755-2583650 फेक्स 2583651 ई-मेल dpimp@sancharnet.in

क्रमांक/स्था.4/सी/अं.जि.स्थानां./14/2011/601

भोपाल, दिनांक 7/6/11

// आदेश //

निम्नांकित कर्मचारी का स्वेच्छा के आधार पर अंतर जिला स्थानांतरण समान सामार्थ्य एवं वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख अंकित जिले में किया जाता है:-

| क्रं. | नाम एवं पदनाम | वर्तमान पदस्थापना एवं जिला | स्थानांतरित कार्यालय/जिले का नाम |
|-------|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | श्री शाहिद खॉन, सहायक ग्रेड-2 (UNIQUE CODE-BA1802) | कार्यालय विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी आगर, जिला शाजापुर (DISE CODE-232208OBS01) | सयुक्त संचालक लोक शिक्षण उज्जैन संभाग उज्जैन (DISE CODE- 232107ORS01) |
| 2 | श्री रामप्रताप कोरी, भृत्य (मीनियल) (UNIQUE CODE-AW8730) | शासकीय बालक उ.मा.वि. गढ़, जिला रीवा (DISE CODE -23140877711) | सतना |

2/ मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र परिपत्र क्रमांक/एफ 6-1/2011/एक /9, दिनांक 20.04.2011 द्वारा जारी स्थानांतरण नीति 2011-12 के अनुक्रम में स्थानांतरित जिले/स्थान में पद रिक्त होने की पुष्टि उपरांत ही संस्था में रिक्त पद पर पदस्थापना की जाए।

3/ उक्त जिला संवर्गीय स्थानांतरित कर्मचारी की वर्तमान जिले की वरिष्ठता का लाभ नवीन जिले के लिए मान्य नहीं होगा। नवीन जिले में इनकी वरिष्ठता उनके संस्था में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से निर्धारित होगी।

4/ उक्त सभी स्थानांतरण स्वेच्छा से होने के कारण इन्हें किसी भी प्रकार के यात्रा भत्ते की पात्रता नहीं होगी।

5/ संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी एवं संस्था प्रधान द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि स्थानांतरित कर्मचारी शिक्षा विभाग के ही कर्मचारी हैं। पुष्टि होने पर ही उक्त कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जाये।

निरंतर/2...

h

6/ संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा यह भली-भांती परीक्षण कर लिया जाए कि संबंधित कर्मचारी वास्तव में उसके स्थान/पद पर पदस्थ हैं जहाँ से उन्हें स्थानांतरित किया जा रहा है। पूर्ण आश्वस्त व शासकीय सेवक की सेवा पुस्तिका से सत्यापन होने पर ही उक्त कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जावे। यदि संबंधित कर्मचारी क बार में किसी प्रकार की कोई त्रुटिपूर्ण विसंगति अथवा विपरीत तथ्य प्रकाश में आता है अथवा उसके विरुद्ध कोई विभागीय जाँच/आपराधिक प्रकरण लंबित हो तो कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण न कराते हुए वस्तुस्थिति से तत्काल संचालनालय को अर्द्ध शासकीय पत्र के माध्यम से अवगत करायें।

7/ जिला शिक्षा अधिकारी/संस्था प्रमुख स्थानांतरित कर्मचारी को नवीन जिले द्वारा पदस्थापना आदेश जारी करने के उपरांत ही कार्यमुक्त करेंगे। साथ ही संबंधित कर्मचारी का भी यह दायित्व होगा कि नवीन जिले के संबंधित अधिकारी द्वारा जारी पदस्थापना आदेश प्राप्त होने पर ही वह कार्यमुक्त होगा।

8/ स्थानांतरित कर्मचारी की पदस्थापना स्थानांतरित जिले के संबंधित अधिकारी द्वारा एक सप्ताह में की जाए। पदस्थापना आदेश जारी होने के उपरांत ही संबंधित कर्मचारी को कार्यमुक्त किया जाए। कार्यमुक्ती उपरांत कर्मचारी को नवीन स्थान में तत्काल उपस्थित होना होगा। कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उसे अवकाश दी पात्रता नहीं होगी।

प्रशासकीय अनुमोदन अनुसार

(अशोक बर्णवाल)

आयुक्त

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

3/6/11

भोपाल, दिनांक 7/6/11

पृष्ठां.क्र./स्था.4/सी/अं.जि.स्थानां./14/2010-11/602

प्रतिलिपि:-

1. निज सहायक, मान. स्कूल शिक्षा मंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
2. निज सहायक, मा. राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, (मंत्रालय) वल्लभ-भवन, भोपाल।
4. संबंधित जिला कलेक्टर, म.प्र.।
5. संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण संभाग मध्यप्रदेश।
6. सहायक संचालक (समन्वय) स्थानीय की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
7. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, म.प्र.।
8. संबंधित संस्था प्रमुख कार्यालय प्राचार्य/विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी/प्रधानाध्यापक, म.प्र.।
9. ओ.एस.डी. स्थापना-4 (स्थानीय)।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
10. संबंधित कर्मचारियों की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

आयुक्त

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

mail

लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश

गौतम नगर, भोपाल 482023

दूरभाष 91-0755-2583650 फेक्स 2583651 ई-मेल dpimp@sancharnet.in

क्रमांक/स्था.4/सी/अं.जि.स्थानां./9/2011/626

भोपाल, दिनांक 7/6/11

// आदेश //

निम्नांकित कर्मचारी का स्वेच्छा के आधार पर अंतर जिला स्थानांतरण समान सामार्थ्य एवं वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख अंकित जिले में किया जाता है:-

| क्रं. | नाम एवं पदनाम | वर्तमान पदस्थापना एवं जिला | स्थानांतरित कार्यालय / जिले का नाम |
|-------|---|--|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | श्री हरिशंकर कलपुरे, भृत्य (UNIQUE CODE- BJ9948) | शा.उ.मा.वि. पालसोड़ा तह. जिला नीमच (DISE CODE - 2318077713) | बालाघाट |

2/ मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पारेपत्र परिपत्र क्रमांक/एफ 6-1/2011/एक /9, दिनांक 20.04.2011 द्वारा जारी स्थानांतरण नीति 2011-12 के अनुक्रम में स्थानांतरित जिले/स्थान में पद रिक्त होने की पुष्टि उपरांत ही संस्था में रिक्त पद पर पदस्थापना की जाए।

3/ उक्त जिला संवर्गीय स्थानांतरित कर्मचारी की वर्तमान जिले की वरिष्ठता का लाभ नवीन जिले के लिए मान्य नहीं होगा। नवीन जिले में इनकी वरिष्ठता उनके संस्था में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से निर्धारित होगी।

4/ उक्त सभी स्थानांतरण स्वेच्छा से होने के कारण इन्हें किसी भी प्रकार के यात्रा भत्ते की पात्रता नहीं होगी।

5/ संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी एवं संस्था प्रधान द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि स्थानांतरित कर्मचारी शिक्षा विभाग के ही कर्मचारी हैं। पुष्टि होने पर ही उक्त कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जाये।

6/ संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा यह भली-भांती परीक्षण कर लिया जाए कि संबंधित कर्मचारी वास्तव में उसके स्थान/पद पर पदस्थ हैं जहाँ से उन्हें स्थानांतरित किया जा रहा है। पूर्ण आश्वस्त द शासकीय सेवक की सेवा पुस्तिका से सत्यापन होने पर ही उक्त कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जावे। यदि संबंधित कर्मचारी के बारे में किसी प्रकार की कोई त्रुटिपूर्ण विसंगति अथवा विपरीत तथ्य प्रकाश में आता है अथवा उसके विरुद्ध कोई विभागीय जाँच/आपराधिक प्रकरण लंबित हो तो कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण न कराते हुए वस्तुस्थिति से तत्काल संचालनालय को अर्द्ध शासकीय पत्र के माध्यम से अवगत करायें।

निरंतर/2...

7/ जिला शिक्षा अधिकारी/संस्था प्रमुख स्थानांतरित कर्मचारी को नवीन जिले द्वारा पदस्थापना आदेश जारी करने के उपरांत ही कार्यमुक्त करेंगे । साथ ही संबंधित कर्मचारी का भी यह दायित्व होगा कि नवीन जिले के संबंधित जवाबदारी द्वारा जारी पदस्थापना आदेश प्राप्त होने पर ही वह कार्यमुक्त होगा ।

8/ स्थानांतरित कर्मचारी की पदस्थापना स्थानांतरित जिले के संबंधित अधिकारी द्वारा एक सप्ताह में की जाए । पदस्थापना आदेश जारी होने के उपरांत ही संबंधित कर्मचारी को कार्यमुक्त किया जाए । कार्यमुक्ती उपरांत कर्मचारी को नवीन स्थान में तत्काल उपस्थित होना होगा । कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उसे अवकाश की पात्रता नहीं होगी ।

(अशोक बर्णवाल)

आयुक्त

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

पृष्ठांक./स्था.4/सी/अं.जि.स्थानां./9/2011/627
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 7/6/11

1. निज सहायक, मान. स्कूल शिक्षा मंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल ।
2. निज सहायक, मा. राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा मध्यप्रदेश शासन, भोपाल ।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, (मंत्रालय) वल्लभ-भवन, भोपाल ।
4. स्टॉफ ऑफिसर, आयुक्त लोक शिक्षण, म.प्र. ।
5. कलेक्टर, जिला नीमच/बालाघाट, म.प्र. ।
6. संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण ग्वालियर संभाग उज्जैन/जबलपुर मध्यप्रदेश ।
7. सहायक संचालक (समन्वय) स्थानीय की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ।
8. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला नीमच/बालाघाट म.प्र. ।
9. प्राचार्य, उ.मा.वि. पालसोड़ा तह. जिला नीमच ।
10. ओ.एस.डी. स्थापना-4 (स्थानीय) ।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ।
11. श्री हरिशंकर कलपुरे, भृत्य शा. उ.मा.वि. पालसोड़ा, जिला नीमच ।
की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।

आयुक्त

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

mcu

लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश

गौतम नगर, भोपाल 462021

दूरभाष 91-0755-2583950 फेक्स 2583651 ई-मेल dpimp@sancharnet.in

क्रमांक/स्था.4/सी/अं.जि.स्थानां./14/2011/605

भोपाल, दिनांक 7/6/11

// आदेश //

श्री केशव श्रीवास, भृत्य (UNIQUE CODE - AA1046) शासकीय माध्यमिक शाला काजीपुरा संकुल शा. हमीदिया कन्या उ.मा.वि. क्रमांक-1, भोपाल. (DISE CODE-23320301106) का स्थानांतरण समान सामर्थ्य एवं वेतनमान में लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल में निम्नलिखित शर्तों के आधार पर स्वेच्छा से किया जाता है :-

- 1/ मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र परिपत्र क्रमांक/एफ 6-1/2011/एक/9, दिनांक 20.04.2011 द्वारा जारी स्थानांतरण नीति 2011-12 के अनुक्रम में स्थानांतरित स्थान/संस्था में पद रिक्त होने की पुष्टि उपरांत ही स्थान/संस्था में रिक्त पद पर पदस्थापना की जाए।
- 2/ उक्त स्थानांतरण स्वेच्छा से होने के कारण इन्हें किसी भी प्रकार के यात्रा भत्ते की पात्रता नहीं होगी।
- 3/ संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी एवं संस्था प्रधान द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि स्थानांतरित कर्मचारी शिक्षा विभाग के ही कर्मचारी हैं। पुष्टि होने पर ही उक्त कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जाये।
- 4/ संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा यह भली-भांती परीक्षण कर लिया जाए कि संबंधित कर्मचारी वास्तव में उसके स्थान/पद पर पदस्थ हैं जहाँ से उन्हें स्थानांतरित किया जा रहा है। पूर्ण आश्वस्त व शासकीय सेवक की सेवा पुस्तिका से सत्यापन होने पर ही उक्त कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जावे। यदि संबंधित कर्मचारी के बारे में किसी प्रकार की कोई त्रुटिपूर्ण विसंगति अथवा विपरीत तथ्य प्रकाश में आता है अथवा उसके विरुद्ध कोई विभागीय जाँच/आपराधिक प्रकरण लंबित हो तो कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण न कराते हुए वस्तुस्थिति से तत्काल संचालनालय को अर्द्ध शासकीय पत्र के माध्यम से अवगत करायें।
- 5/ संबंधित का स्थानांतरण स्वेच्छा के आधार पर होने के फलस्वरूप संबंधित की वरिष्ठता लोक शिक्षण संचालनालय, म0प्र0 भोपाल में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से ही मान्य की जावेगी तथा संबंधित को पूर्व की वरिष्ठता त्यागनी होगी।

(अशोक बर्णवाल)

आयुक्त

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश


...निरंतर/2...

7/6/11

पृष्ठां.क्रमांक : स्था.4/सी/अं.जि.स्थानां./14/2011/606
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 7/6/11

1. विशेष सहायक, मान. स्कूल शिक्षा मंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल सूचनार्थ प्रेषित ।
2. विशेष सहायक, ना. राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा मध्यप्रदेश शासन, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, (मंत्रालय) वल्लभ-भवन, भोपाल ।
4. स्टॉफ ऑफीसर, आयुक्त लोक शिक्षण, म.प्र. ।
5. कलेक्टर, जिला भोपाल, म.प्र. ।
6. सहायक संचालक (लेखा) स्थानीय की ओर सूचनार्थ अग्रेषित ।
7. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला-भोपाल मध्यप्रदेश ।
8. प्रधानाध्यापक, शासकीय माध्यमिक शाला काजीपुरा भोपाल ।
9. प्राचार्य, शा. हमीदिया कन्या उ.मा.वि. क्रमांक-1, भोपाल ।
10. स्थापना-4 कक्ष (स्थानीय) की टेबल "ए" "बी" "डी" एवं "एफ" की ओर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ।
10. संबंधित-श्री केशव श्रीवास, भृत्य शासकीय माध्यमिक शाला, काजीपुरा संकुल शा. हमीदिया कन्या उ.मा.वि. क्रमांक-1, भोपाल ।
की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।


आयुक्त
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश



लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश

गोतम नगर, भोपाल 462023

दूरभाष 91-0755-2583650 फेक्स 2583651 ई-मेल dpimp@sancharnet.in

क्रमांक/स्था.4/सी/अं.जि.स्थानां./18/2011/624

भोपाल, दिनांक 7/6/11

// आदेश //

निम्नांकित कर्मचारी का स्वेच्छा के आधार पर अंतर जिला स्थानांतरण समान सामार्थ्य एवं वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख अंकित जिले में किया जाता है:-

| क्रं. | नाम एवं पदनाम | वर्तमान पदस्थापना एवं जिला | स्थानांतरित कार्यालय/जिले का नाम |
|-------|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | श्री विनय कुमार सोनी, सहायक ग्रेड-2 (UNIQUE CODE-AR7710) | शा. उ.भा.वि. कौड़िया, जिला नरसिंहपुर (DISE CODE - 23400677705) | संयुक्त संचालक लोक शिक्षण नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद (DISE CODE-233703ORS01) |
| 2 | श्री उमेश श्रीवास्तव, सहायक ग्रेड-3 (UNIQUE CODE- AF7426) | शास. उ.मा.वि. पनौज जिला उत्तर (DISE CODE - 23090577707) | अशोकनगर |
| 3 | श्रीमती गुलाब बाई मरावी, भृत्य (UNIQUE CODE-AO2945) | शास. बा.उ.मा.वि. हरसूद, जिला खण्डवा (DISE CODE -23290477701) | मण्डला |
| 4 | श्री रघुवीर सिंह कुशवाह भृत्य (UNIQUE CODE-BO2534) | शा. मा.वि. पारकना वि.ख. मुंगावली, जिला अशोकनगर (DISE CODE - 23460805202) | शिवपुरी |
| 5 | श्री बृजेन्द्र कुमार गुप्ता, भृत्य (UNIQUE CODE- BT2001) | शास. माध्यमिक शाळा तिलक कस्बा, संकुल शा.म.ल.बा.कन्या उ.मा.वि. सीहोर (DISE CODE - 23330500198) | शिवपुरी |

2/ मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र परिपत्र क्रमांक/एफ 6-1/2011/एक /9, दिनांक 20.04.2011 द्वारा जारी स्थानांतरण नीति 2011-12 के अनुक्रम में स्थानांतरित जिले/स्थान में पद रिक्त होने की पुष्टि उपरांत ही संस्था में रिक्त पद पर पदस्थापना की जाएं ।

3/ उक्त जिला संवर्गीय स्थानांतरित कर्मचारी की वर्तमान जिले की वरिष्ठता का लाभ नवीन जिले के लिए मान्य नहीं होगा । नवीन जिले में इनकी वरिष्ठता उनके संस्था में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से निर्धारित होगी ।

4/ उक्त सभी स्थानांतरण स्वेच्छा से होने के कारण इन्हें किसी भी प्रकार के यात्रा भत्ते की पात्रता नहीं होगी ।

5/ संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी एवं संस्था प्रधान द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि स्थानांतरित कर्मचारी शिक्षा विभाग के ही कर्मचारी हैं । पुष्टि होने पर ही उक्त कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जाये ।


निरंतर....2...

6/ संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा यह भली-भांती परीक्षण कर लिया जाए कि संबंधित कर्मचारी वास्तव में उसके स्थान/पद पर पदस्थ हैं जहाँ से उन्हें स्थानांतरित किया जा रहा है। पूर्ण आश्वस्त व शासकीय सेवक की सेवा पुस्तिका से सत्यापन होने पर ही उक्त कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जाये। यदि संबंधित कर्मचारी के बारे में किसी प्रकार की कोई त्रुटिपूर्ण विसंगति अथवा विपरीत तथ्य प्रकाश में आता है अथवा उसके विरुद्ध कोई विभागीय जाँच/आपराधिक प्रकरण लंबित हो तो कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण न कराते हुए वस्तुस्थिति से तत्काल संचालनालय को अर्द्ध शासकीय पत्र के माध्यम से अवगत करायें।

7/ जिला शिक्षा अधिकारी/संस्था प्रमुख स्थानांतरित कर्मचारी को नवीन जिले द्वारा पदस्थापना आदेश जारी करने के उपरांत ही कार्यमुक्त करेंगे। साथ ही संबंधित कर्मचारी का भी यह दायित्व होगा कि नवीन जिले के संबंधित अधिकारी द्वारा जारी पदस्थापना आदेश प्राप्त होने पर ही वह कार्यमुक्त होगा।

8/ स्थानांतरित कर्मचारी की पदस्थापना स्थानांतरित जिले के संबंधित अधिकारी द्वारा एक सप्ताह में की जाए। पदस्थापना आदेश जारी होने के उपरांत ही संबंधित कर्मचारी को कार्यमुक्त किया जाए। कार्यमुक्ती उपरांत कर्मचारी को नवीन स्थान में तत्काल उपस्थित होना होगा। कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उसे अवकाश की पात्रता नहीं होगी।

प्रशासकीय अनुमोदन अनुसार


(अशोक बर्णवाल)

आयुक्त

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 7/6/11

पृष्ठा.क्र./स्था.4/सी/अं.जि.स्थानां./18/2010-11/625

प्रतिलिपि:-

1. निज सहायक, मान. स्कूल शिक्षा मंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
2. निज सहायक, मा. राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, (मंत्रालय) वल्लभ-भवन, भोपाल।
4. संबंधित जिला कलेक्टर, म.प्र.।
5. संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण संभाग मध्यप्रदेश।
6. सहायक संचालक (समन्वय) स्थानीय की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
7. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, म.प्र.।
8. संबंधित संस्था प्रमुख कार्यालय प्राचार्य/विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी/प्रधानाध्यापक, म.प्र.।
9. ओ.एस.डी. स्थापना-4 (स्थानीय)।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
10. संबंधित कर्मचारियों की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।


आयुक्त

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

7/6/11



mail

लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश

गौतम नगर, भोपाल 462023

दूरभाष 91-0755-2583850 फेक्स 2583651 ई-मेल dpimp@sancharnet.in

क्रमांक/स्था.4/सी/अं.जि.स्थानां./44/2011/607

भोपाल, दिनांक 7/6/11

// आदेश //

निम्नांकित कर्मचारी का स्वेच्छा के आधार पर अंतर जिला स्थानांतरण समान सामर्थ्य एवं वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख अंकित जिले में किया जाता है:-

| क्रं. | नाम एवं पदनाम | वर्तमान पदस्थापना एवं जिला | स्थानांतरित कार्यालय/जिले का नाम |
|-------|---|--|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | श्री आलोक कुमार सिंह कुशवाह सहायक ग्रेड-2 (UNIQUE CODE- AI4211) | कार्यालय प्राचार्य शा. उ.मा.वि. उनाव, जिला दतिया (DISE CODE - 23050277701) | ग्वालियर |

2/ मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र परिपत्र क्रमांक/एफ 6-1/2011/एक /9, दिनांक 20.04.2011 द्वारा जारी स्थानांतरण नीति 2011-12 के अनुक्रम में स्थानांतरित जिले/स्थान में पद रिक्त होने की पुष्टि उपरांत ही संस्था में रिक्त पद पर पदस्थापना की जाए।

3/ उक्त जिला संवर्गीय स्थानांतरित कर्मचारी की वर्तमान जिले की वरिष्ठता का लाभ नवीन जिले के लिए मान्य नहीं होगा। नवीन जिले में इनकी वरिष्ठता उनके संस्था में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से निर्धारित होगी।

4/ उक्त सभी स्थानांतरण स्वेच्छा से होने के कारण इन्हें किसी भी प्रकार के यात्रा भत्ते की पात्रता नहीं होगी।


5/ संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी एवं संस्था प्रधान द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि स्थानांतरित कर्मचारी शिक्षा विभाग के ही कर्मचारी हैं। पुष्टि होने पर ही उक्त कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जाये।

6/ संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा यह भली-भांती परीक्षण कर लिया जाए कि संबंधित कर्मचारी वास्तव में उसके स्थान/पद पर पदस्थ हैं जहाँ से उन्हें स्थानांतरित किया जा रहा है। पूर्ण आश्वस्त व शासकीय सेवक की सेवा पुस्तिका से सत्यापन होने पर ही उक्त कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जावे। यदि संबंधित कर्मचारी के बारे में किसी प्रकार की कोई त्रुटिपूर्ण विसंगति अथवा विपरीत तथ्य प्रकाश में आता है अथवा उसके विरुद्ध कोई विभागीय जाँच/आपराधिक प्रकरण लंबित हो तो कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण न कराते हुए वस्तुस्थिति से तत्काल संचालनालय को अर्द्ध शासकीय पत्र के माध्यम से अवगत कराये।

निरंतर/2...

7/ जिला शिक्षा अधिकारी/संस्था प्रमुख स्थानांतरित कर्मचारी को नवीन जिले द्वारा पदस्थापना आदेश जारी करने के उपरांत ही कार्यमुक्त करेंगे । साथ ही संबंधित कर्मचारी का भी यह दायित्व होगा कि नवीन जिले के संबंधित अधिकारी द्वारा जारी पदस्थापना आदेश प्राप्त होने पर ही वह कार्यमुक्त होगा ।

8/ स्थानांतरित कर्मचारी की पदस्थापना स्थानांतरित जिले के संबंधित अधिकारी द्वारा एक सप्ताह में की जाए । पदस्थापना आदेश जारी होने के उपरांत ही संबंधित कर्मचारी को कार्यमुक्त किया जाए । कार्यमुक्ती उपरांत कर्मचारी को नवीन स्थान में तत्काल उपस्थित होना होगा । कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उसे अवकाश की पात्रता नहीं होगी ।



(अशोक बर्णवाल)

आयुक्त
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

पृष्ठां.क्र./स्था.4/सी/अं.जि.स्थानां./44/2011/608
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 7/6/11

1. निज सहायक, मान. स्कूल शिक्षा मंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल ।
2. निज सहायक, मा. राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा मध्यप्रदेश शासन, भोपाल ।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, (मंत्रालय) वल्लभ-भवन, भोपाल ।
4. स्टाफ ऑफीसर, आयुक्त लोक शिक्षण, म.प्र. ।
5. कलेक्टर, जिला दतिया/ग्वालियर म.प्र. ।
6. संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण ग्वालियर संभाग ग्वालियर मध्यप्रदेश ।
7. सहायक संचालक (समन्वय) स्थानीय की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ।
8. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला दतिया/ग्वालियर म.प्र. ।
9. कार्यालय प्राचार्य शा. उ.मा.वि. उनाव, जिला दतिया ।
10. ओ.एस.डी. स्थापना-4 (स्थानीय) ।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ।
11. श्री आलोक कुमार सिंह कुशवाह सहायक ग्रेड-2 कार्यालय कार्यालय प्राचार्य शा. उ.मा.वि. उनाव, जिला दतिया
की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।


आयुक्त
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

mail

लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश

गौतम नगर, भोपाल 462023

दूरभाष 91-0755-2583650 फेक्स 2583651 ई-मेल dpimp@sancharnet.in

क्रमांक/स्था.4/सी/अं.जि.स्थानां./20/2011/609

भोपाल, दिनांक 7/6/11

// आदेश //

निम्नांकित कर्मचारी का स्वेच्छा के आधार पर अंतर जिला स्थानांतरण समान सामार्थ्य एवं वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख अंकित जिले में किया जाता है:-


| क्रं. | नाम एवं पदनाम | वर्तमान पदस्थापना एवं जिला | स्थानांतरित कार्यालय / जिले का नाम |
|-------|---|--|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | श्री अर्चना द्विवेदी, भृत्य (UNIQUE CODE-BO2226) | शा. कन्या उ.मा.वि. ताल जिला रतलाम (DISE CODE - 23200177702) | ग्वालियर |

- 2/ मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक/एफ 6-1/2011/एक /9, दिनांक 20.04.2011 द्वारा जारी स्थानांतरण नीति 2011-12 के अनुक्रम में स्थानांतरित जिले/स्थान में पद रिक्त होने की पुष्टि उपरांत ही संस्था में रिक्त पद पर पदस्थापना की जाए।
- 3/ उक्त जिला संवर्गीय स्थानांतरित कर्मचारी की वर्तमान जिले की वरिष्ठता का लाभ नवीन जिले के लिए मान्य नहीं होगा। नवीन जिले में इनकी वरिष्ठता उनके संस्था में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से निर्धारित होगी।
- 4/ उक्त सभी स्थानांतरण स्वेच्छा से होने के कारण इन्हें, किसी भी प्रकार के यात्रा भत्ते की पात्रता नहीं होगी।
- 5/ संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी एवं संस्था प्रधान द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि स्थानांतरित कर्मचारी शिक्षा विभाग के ही कर्मचारी हैं। पुष्टि होने पर ही उक्त कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जाये।
- 6/ संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा यह भली-भांती परीक्षण कर लिया जाए कि संबंधित कर्मचारी वास्तव में उसके स्थान/पद पर पदस्थ हैं जहाँ से उन्हें स्थानांतरित किया जा रहा है। पूर्ण आश्वस्त व शासकीय सेवक की सेवा पुस्तिका से सत्यापन होने पर ही उक्त कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जावे। यदि संबंधित कर्मचारी के बारे में किसी प्रकार की कोई त्रुटिपूर्ण विसंगति अथवा विपरीत तथ्य प्रकाश में आता है अथवा उसके विरुद्ध कोई विभागीय जाँच/आपराधिक प्रकरण लंबित हो तो कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण न कराते हुए वस्तुस्थिति से तत्काल संचालनालय को अर्द्ध शासकीय पत्र के माध्यम से अवगत कराये।

निरंतर/2...


7/ जिला शिक्षा अधिकारी/संस्था प्रमुख स्थानांतरित कर्मचारी को नवीन जिले द्वारा पदस्थापना आदेश जारी करने के उपरांत ही कार्यमुक्त करेंगे । साथ ही संबंधित कर्मचारी का भी यह दायित्व होगा कि नवीन जिले के संबंधित अधिकारी द्वारा जारी पदस्थापना आदेश प्राप्त होने पर ही वह कार्यमुक्त होगा ।

8/ स्थानांतरित कर्मचारी की पदस्थापना स्थानांतरित जिले के संबंधित अधिकारी द्वारा एक सप्ताह में की जाए। पदस्थापना आदेश जारी होने के उपरांत ही संबंधित कर्मचारी को कार्यमुक्त किया जाए। कार्यमुक्ती उपरांत कर्मचारी को नवीन स्थान में तत्काल उपस्थित होना होगा । कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उसे अवकाश की पात्रता नहीं होगी ।


(अशोक बर्णवाल)

आयुक्त


लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश



पृष्ठां.क्र./स्था.4/री/अं.जि.स्थानां./20/2011/ 610
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 7/9/11

1. निज सहायक, मान. स्कूल शिक्षा मंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल ।
2. निज सहायक, मा. राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा मध्यप्रदेश शासन, भोपाल ।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, (मंत्रालय) वल्लभ-भवन, भोपाल ।
4. स्टॉफ ऑफिसर, आयुक्त लोक शिक्षण, म.प्र. ।
5. कलेक्टर, जिला रतलाम/ग्वालियर म.प्र. ।
6. संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण ग्वालियर संभाग उज्जैन/ग्वालियर मध्यप्रदेश ।
7. सहायक संचालक (समन्वय) स्थानीय की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ।
8. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला रतलाम/ग्वालियर म.प्र. ।
9. प्राचार्य, कार्यालय कन्या उ.मा.वि. ताल जिला रतलाम
10. ओ.एस.डी. स्थापना-4 (स्थानीय) ।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ।
11. श्रीमती अर्चना द्विवेदी, भृत्य कार्यालय कन्या उ.मा.वि. ताल जिला रतलाम ।
की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।


आयुक्त

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

